يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ
أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ
ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ
ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا
ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن
تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ
ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ
وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢ * وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ
تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا
فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ
ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ
عَلِيمٞ ٢٨٣

Theme	
Commandment of writing down all business dealings - loans, debts and buying on credit. Witnesses are required in all major business transactions. If writing is not possible, take a security deposit - pledge / mortgage.	कारोबारी मुआमलात, क़र्ज़, उधार और मोअख़्खर अदायगी पर ख़रीद-ओ-फ़रोख़्त को तहरीर में लाने का हुक्म। तमाम अहम कारोबारी मुआमलात में गवाहों का होना ज़रूरी है। अगर तहरीर करना मुमकिन न हो तो बतौर-ए-ज़मानत कोई रहन या गिरवी रख लिया जाए।
Tarjumani	
O believers! When you deal with each other in lending for a fixed period of time, put it in writing. Let a scribe write it down with justice between the parties. The scribe, who is given the gift of literacy by Allah, should not refuse to write; he is under obligation to write. Let him who incurs the liability (debtor) dictate, fearing Allah his Rabb and not diminishing anything from the settlement. If the borrower is mentally unsound or weak or is unable to dictate himself, let the guardian of his interests dictate for him with justice. Let two witnesses from among you	ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में क़र्ज़ का लेन-देन करो तो उसे लिख लिया करो | फरीकैन के दरमियान इनसाफ़ के साथ एक शख़्स दस्तावेज़ तहरीर करे | जिसे अल्लाह ने लिखने-पढ़ने की क़ाबिलियत बख़्शी हो उसे लिखने से इनकार न करना चाहिए | वह लिखे और इमला वह शख़्स कराए जिसपर हक़ आता है (यानी क़र्ज़ लेनेवाला) | और उससे अल्लाह, अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी-बेशी न करे | लेकिन अगर क़र्ज़ लेनेवाला ख़ुद नादान या ज़ईफ़ हो या इमला न करा सकता हो तो उसका वली इनसाफ़ के साथ इमला कराए |

bear witness to all such documents, if two men cannot be found, then one man and two women of your choice should bear witness, so that if one of the women forgets anything the other may remind her. The witnesses must not refuse when they are called upon to do so. You must not be averse to writing (your contract) for a future period, whether it is a small matter or big. This action is more just for you in the sight of Allah, because it establishes stronger evidence and is the best way to remove all doubts; but if it is a common commercial transaction concluded on the spot among yourselves, there is no blame on you if you do not put it in writing. You should have witnesses when you make commercial transactions. Let no harm be done to the scribe or witnesses; and if you do so, you shall be guilty of transgression. Fear Allah; it is Allah that teaches you and Allah has knowledge of	फिर अपने मर्दों में से दो आदमियों की उसपर गवाही करा लो	अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतों हों ताकि एक भूल जाए तो दुसरी उसे याद दिला दे	ये गवाह ऐसे लोंगों में से होने चाहिएँ जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो	गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हों इनकार न करना चाहिए	मामला खाह छोटा हो या बड़ा, मीआद की ताईन के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखवा लेने में तसाहुल न करो	अल्लाह के नज़दीक यह तरीका तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इनसाफ़ है और इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है	और तुम्हारे शुकूक व शुबहात में मुब्तला होने का इमकान कम रह जाता है, जहाँ जो तिजारती लेन-देन दस्त-ब-दस्त तुम लोग आपस में करते हो, उसको न लिखा जाए तो कोई हरज नहीं	मगर तिजारती मामले तय करते वक्क्त गवाह कर लिया करो	कातिब और गवाह को सताया न जाए	ऐसा करोगे तो गुनाह का इरतिकाब करोगे	अल्लाह के ग़ज़ब से बचो	वह तुको सही तरीक़े-अमल की तालीम देता है और उससे हर चीज़ का इल्म है	अगर तुम

everything. If you are on a journey and cannot find a scribe to write down the transaction, then transact your business by taking possession of a pledge. If one of you entrust another with a pledge, let the trustee discharge his trust faithfully and let him fear Allah, his Rabb. Do not conceal testimony, and whoever conceals it, his heart is surely sinful. Allah is aware of all your actions.	सफ़र की हालत में हो और दस्तावेज़ लिखने के लिए कोई कातिब न मिले तो रिहन-बिल-कब्ज़ पर मामला करो	अगर तुममें से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिसपर भरोसा किया गया है, उसे चाहिए कि वह अमानत अदा करे और अल्लाह, अपने रब से डरे	और शहादत हरगिज़ न छिपाओ	जो शहादत छिपाता है, उसका दिल गुनाह में आलूदा है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेख़बर नहीं है	
Tafsir	